संख्या- 5/2023/बी-1- 322 /दस-2023

(ई पत्रा.सं.-10-5002/125/2021)

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनाँक 02 मई, 2023**

विषय:- राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य पोषित योजनाओं की धनराशि के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-7/2022/ बी-1-287/दस-2022 दिनाँक 05 अप्रैल, 2022 का निरस्तीकरण ।

महोदय,

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2022/ बी-1- 287 /दस-2022 दिनाँक 05 अप्रैल, 2022 के माध्यम से राज्य सरकार की ऐसी योजनाओं, जिनमें विभागों द्वारा बैंक खाते में धनराशि अंतरित करते हुए व्यय किया जाता है, ऐसी योजनाओं की धनराशि के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण के लिए (भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु PFMS के माध्यम से SNA व्यवस्था की भाँति) व्यवस्था लागू की गयी है ।

2. यह देखने में आया है कि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत विभागों द्वारा राज्य योजनाओं की धनराशि योजना से सम्बन्धित बैंक में खुले नोडल खातों में स्थानांतरित होने से धनराशि के उपयोग एवं उपभोग पर प्रभावी नियंत्रण नही रह जाता है तथा धनराशि जिस उद्देश्य के लिए आहरित की गयी थी, उसकी समयान्तर्गत पूर्ति हुई या नहीं, यह भी सुनिश्चित नही हो पाता है। इस व्यवस्था में धनराशि अनावश्यक रूप से बैंक खतों में पड़ी रहती है जिससे राज्य का कैश प्रबन्धन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

3. उपरोक्त वर्णित स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित राज्य पोषित योजनाओं की धनराशि के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण हेतु (भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु PFMS के माध्यम से SNA व्यवस्था की भाँति) व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त अंकित शासनादेश संख्या-7/2022/ बी-1- 287 /दस-2022 दिनाँक 05 अप्रैल, 2022 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

कृ. पृ. उ.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-5/2023/बी-1-322 (1)/दस-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमन्त्री , उत्तर प्रदेश शासन ।
5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव , उत्तर प्रदेश शासन ।
6- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7- महानिदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, लखनऊ ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
10- वित्त विभाग के समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग ।
11 - सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।